



AYUSH AND HEALTH SCIENCES UNIVERSITY OF CHHATTISGARH, RAIPUR

G. E. ROAD, RAIPUR (C.G.)

(Established by C.G. Act. No. 21/2008)

Rs. 20/-

Ph/Fax: 0771-2263234

Website: www.cghealthuniv.com

APPLICATION FOR RETOTALLING OF ANSWER BOOKS

CANDIDATE SHOULD GO THROUGH THE RULES CAREFULLY BEFORE FILLING UP THIS FORM. THIS APPLICATION FORM IS TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE CANDIDATE ONLY. APPLICATION SUBMITTED ON BEHALF ON THE CANDIDATE OF INCOMPLETE WILL BE REJECTED. THE FORM SHOULD BE DULY FORWARDED BY THE CONCERNED HEAD OF THE INSTITUTION.

Name of Examination:

Roll No.:

To,

The Registrar,
Ayush And Health Sciences University Of Chhattisgarh
G. E. Road, Raipur (C.G.)

Sir,

I request you to permit me to get my answer book(s) Retotalled in the applied subject/paper
The necessary particulars are as follow:

1.	Name of the Candidates (Block Letters) Mr./Mrs./Miss	
2.	Father's Name	
3.	Address for correspondence with pin code.	
4.	Enrollment No.	
5.	Name of the Exam. Centre	Date of Publication of Result
6.	Roll No.	
7.	Subject/Paper	

DECLARATION

- I hereby declare that I have gone through the provisions of Retotalling as mentioned in Ordinance 2 and they shall be binding on me.
- I hereby further declare that the result of the Retotalling shall be binding on me and I shall accept the revised marks of Retotalling and will not hold the University responsible for the same.

Signature of the Applicant

Tel. No.:

Mobile No.:

Signature of the Head of the Institution

अंको की पुनर्गणना संबंधी नियम

(अध्यादेश क्रमांक 2 की कंडिका 17 की प्रावधान के अनुसार)

1. छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं। पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र इस पते पर भेजें :-
प्रति,

कुलसचिव,
छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय,
जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

(लिफाफे पर मोटे अक्षरों में पुनर्गणना (Retotalling) अवश्य अंकित करें)

2. विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राएं अपनी किसी भी लिखित परीक्षा के विषयों में प्राप्त किये अंकों की पुनर्गणना हेतु कुलसचिव को आवेदन कर सकते हैं। ऐसा आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. परीक्षार्थी पुनर्गणना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के विकास विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।
4. पुनर्गणना हेतु अंकसूची की सत्यापित प्रति लगाना अनिवार्य है।
5. पुनर्गणना हेतु निम्नलिखित उत्तर-पुस्तिका की शुल्क निर्धारित है :-
(क) एक विषय की पुनर्गणना हेतु रूपये 100/ (सौ रूपये) की दर से
(ख) दो से अधिक/सभी विषयों के प्राप्तांकों की उत्तर-पुस्तिका का पुनर्गणना के लिए रु. 500/(पाँच सौ रूपये) की दर से।
6. पुनर्गणना के परिणाम के सूचना विश्वविद्यालय द्वारा यथा समय प्रेषित किया जा सकेगा

कुलसचिव